

शहरी विकास विभाग, (संसदीय शाखा)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
09वॉ तल, सी - विंग, दिल्ली सचिवालय
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

एफ. 53 (13) अता0 प्र0-79/द्वि. सत्र (बजट सत्र) 2025/दिविस/श.वि./330-332 दिनांक 24.03.2025

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.

विषय:- दिल्ली विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 79, श्री
दिनांक 26.03.2025 को सदन की बैठक हेतु।

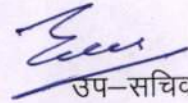
संजीव झा

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों, माननीय मंत्री, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

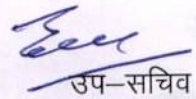
भवदीय



उप-सचिव (सं0 शा0)

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय शहरी विकास मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की दो प्रतियों सहित।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित।



उप-सचिव (सं0 शा0)

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

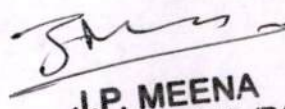
माननीय विधायक का नाम : श्री संजीव झा

दिनांक : 26.03.2025

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 79

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों में विधायक निधि कोष से स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना अभी भी लागू है;	अनाधिकृत कॉलोनी में विधायक निधि से स्ट्रीट लाइट लगाई जा सकती है।
ख	यदि हां, तो अनाधिकृत कालोनियों में एमएलए लैंड फंड से लगने वाली स्ट्रीट लाइट किस विभाग के द्वारा लगाई जाएगी;	अनाधिकृत कॉलोनी में अधिकृत कार्यकारी एजेंसी ये काम कर सकती है। (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, डिस्कॉम, डीएसआईआईडीसी इत्यादि)
ग	क्या यह सत्य है अब इन कालोनियों में एमएलए लैंड फंड से टाटा पावर के द्वारा पहले स्ट्रीट लाइट लगाई जाती थी जो अब उनके द्वारा नहीं लगाई जा रही है;	इस संबंध में कार्यकारी एजेंसी (टाटा पावर) से वार्ता करके उनको स्ट्रीट लाइट लगाने के संबंध में प्रस्ताव इस विभाग में विधायक निधि योजना के अंतर्गत जमा कराया जा सकता है।
घ	यदि हां, तो उसका कारण स्पष्ट करें; और	उपरोक्तानुसार ।
ड	क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा एमएलए लैंड फंड से अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई जा सकती है?	जो भी अनाधिकृत कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रस्ताव तत्कालीन माननीय विधायक की संस्तुति के आधार पर एमसीडी द्वारा हमें भेजे जायेंगे उसे एम एल ए लैंड द्वारा स्वीकृत कर लिया जाएगा।


J.P. MEENA
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02